न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
294/2022	30.12.2022	04.01.2023

//उनवान//

1. राधेश्याम पुत्र घीसाराम जाति ब्राह्मण निवासी उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:— वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

प्रतिवादी

दावा — अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 काश्त0 अधि0।

उपस्थितिः— श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव — वकील वादी

निर्णय

दिनांक— 04.01.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 32/0.01, 33/0.64 है0 वाके ग्राम उलाहेडी तह0 मुण्डावर में स्थित होकर साबिक ख0न0 27 से पैमूद हुए है जो वादी की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराज है तथा शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त विवादित आराजी में मिन वादी का नाम राजस्व रिकार्ड सवंत 2058 में राधेश्याम पुत्र घीसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी उलाहेडी दर्ज था जो सही था लेकिन सवंत 2058 के बाद नाम राधेश्याम पुत्र घीसाराम जाति अहीर निवासी उलाहेडी दर्ज कर दिया है जबकि वादी के पहचान के समस्त अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम राधेश्याम पुत्र घीसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी उलाहेडी अंकित है, वादी की जाति राजस्व रिकार्ड में अलग दर्ज होने व दस्तावेजात में अलग जाति होने से वादी को काफी परेशानी हो रही है तथा कानूनी अडचन पैदा होती है अकिंत करते हुए विवादित आराजियात के बाबत मिन वादी के नाम के आगे अंकित जाति अहीर को कलमजन किया जाकर राधेश्याम पुत्र घीसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी उलाहेडी राजस्व रिकार्ड मे शुद्ध किया जाकर वादवादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पैरोकार पेश किया जिसके मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्तर तक स्वीकार है, शेष वादी स्वयं सिद्ध करें आदि अकिंत करते हुए वादी की जाति विवादित आराजियात में अहीर के बजाय ब्राहम्ण शुद्ध किया जाना उचित है, अंकित करते पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबंदी सवंत 2047, नकल जमाबंदी सवंत 2067–70, नकल जमाबंदी सवंत 2063–66, नकल जमाबंदी सवंत 2055, नकल जमाबंदी सवंत 2071 एवं नकल मिलान क्षेत्रफल सवंत 2071 एवं हाल नकल जमाबंदी सवंत 2072–2075, जमाबंदी 2078 वर्ष 2020–2021 तथा ग्राम पंचायत उलाहेडी का राधेश्याम पुत्र घीसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी उलाहेडी का जाति प्रमाण पत्र जिसके अनुसार राधेश्याम पुत्र घीसाराम जाति अहीर नाम का कोई व्यक्ति उलाहेडी में नहीं है का पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:40:04 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि उक्त विवादित आराजियात वादी की कब्जे काश्त की आराजी रही है जो जरिये इंतकाल संख्या 391 निर्णय दिनांक 14.06.1991 द्वारा बयनामा के आधार पर राधेश्याम पुत्र घीसाराम ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार स्वीकृत होकर जमाबंदी सवंत 2047 में अमल दरामद होकर सवंत 2055 तक उक्तानुसार ही जाति के अंकन के साथ दर्ज रिकार्ड रही है अभिकथन करते हुए आगामी जमाबंदी सवंत 2063–66 में वादी का नाम राधेश्याम पुत्र घीसाराम हिस्सा दर्शाते हुए जाति अंकित नहीं कर अन्य सहखातेदारान का नाम मय जाति अहीर का ही अंकन कर दिया तत्पश्चात उक्तानुसार ही दोहराते हुए हाल जमाबंदी 2075 में राधेश्याम पुत्र घीसाराम अकिंत कर जाति अहीर का अंकन कर दिया गया का निवेदन करते हुए वादी द्वारा अपने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबंदी सवंत 2047, नकल जमाबंदी सवंत 2067–70, नकल जमाबंदी सवंत 2063–66, नकल जमाबंदी सवंत 2055, नकल जमाबंदी सवंत 2071 एवं नकल मिलान क्षेत्रफल सवंत 2071 एवं हाल नकल जमाबंदी सवंत 2072– 2075, जमाबंदी 2078 वर्ष 2020–2021 तथा ग्राम पंचायत उलाहेडी का राधेश्याम पुत्र घीसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी उलाहेडी का जाति प्रमाण पत्र जिसके अनुसार राधेश्याम पुत्र घीसाराम जाति अहीर नाम का कोई व्यक्ति उलाहेडी में नहीं है का पेश किया है। इस प्रकार उक्त प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी ने अपने वादपत्र को पूर्ण रूपेण साबित कर दिया है अभिकथन करते हुए वादी के वाद को डिक्री किया जाकर जाति दूरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यान पूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आ0ख0नं0 32/0.01, 33/0.64 है0 वाके ग्राम उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त आराजियात के बाबत हाल राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के साथ अंकित जाति अहीर को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसके बजाय राधेश्याम पुत्र घीसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी उलाहेडी दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **04.01..2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:40:04 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
294/2022	30.12.2022	04.01.2023

//उनवान//

1. राधेश्याम पुत्र घीसाराम जाति ब्राह्मण निवासी उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

— वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

—प्रतिवादी

दावा — अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 काश्त0 अधि0।

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से एडवोकेट श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.01.2023 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

अतः हाल आ0ख0नं0 32/0.01, 33/0.64 है0 वाके ग्राम उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त आराजियात के बाबत हाल राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के साथ अंकित जाति अहीर को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसके बजाय राधेश्याम पुत्र घीसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी उलाहेडी दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना—अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 04.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:40:04 IST
Reason: SelfAttested

04-01-2023

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0